न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रवि वर्मा , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
08/23	एफएसएस एक्ट, 2006	16/06/2023

1. वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।
–आवेदक

बनाम

1. मालिक– विष्णु लाल गुप्ता पुत्र प्रमूलाल गुप्ता उम्र 62 वर्ष जाति महाजन निवासी पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी ।
2. विक्रेता– अवनीश कुमार गुप्ता पुत्र श्री विष्णु लाल गुप्ता उम्र 41 वर्ष जाति महाजन ,निवासी पुरानी अनाज मण्डी गंगापुर सिटी।
3. मैसर्स– विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी, जी0ए0 220 रीको इण्डस्ट्रियल एरिया गंगापुर सिटी।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

निर्णय दिनांक. 12.06.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनाक 11.10.2022 को समय 05:00 पी0एम0 पर मैसर्स विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी जी0ए0220 रीको इण्डस्ट्रियल एरिया गंगापुर सिटी पर पहुँचा। वहा पर विक्रेता अवनीश कुमार गुप्ता पुत्र श्री विष्णुलाल गुप्ता मिला। फर्म पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु बुरा एक कट्टे मे 25 किलोग्राम रखा हुआ था। बुरा में गुणवत्ता/मिलावट का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच कट्टे मे रखे बुरा में से 2 किलो बुरा खरीदकर उसकी कीमत 80रू नगद अदाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 किलोग्राम बुरा को एक सुखे बर्तन में तुलवाकर विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सुखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उस खरीद शुदा बुरा को प्रत्येक बोतल मे बराबर–बराबर डाला एवं बोतलो को ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलो पर अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड व कमांक एच–2461 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये तथा नमूने की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर आवेदक द्वारा कार्यालय मे पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिस नमूना सील किया। दो फार्म सं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विशलेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म सं0 6की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना माग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर मे सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एफएसएसए/2022/220 दिनांक 25.11.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2978/एक्ट/2022/3029 दिनांक 21.10.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ बुरा **Substandarad and Containing Extranious matter under section 3 (1)(i) of FSSA Act 2006 Due to Presence of Added starch.** प्रकृति का पाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2978/एक्ट/2022/3029 दिनांक 21.10.2022 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने **Substandarad and Containing Extranious matter under section 3 (1)(i) of FSSA Act 2006 Due to Presence of Added starch.** प्रकृति का खाद्य पदार्थ बुरा का निर्माण व विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं 2 (V) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 व 54 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण 1 लगायत 3 की और से अभियुक्त सं0 2 स्वयं उपस्थित हुआ। दौराने बहस अभियुक्त सं0 1 लगायत 3 अनुपस्थित होने पर अभियोजन अधिकारी को सुना गया।

हमने अभियोजन अधिकारी की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2978/एक्ट/2022/ 3029 दिनांक 21.10.2022 का अवलोकन किया गया। जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया खाद्य पदार्थ बुरा **Substandarad and Containing Extranious matter under section 3 (1)(i) of FSSA Act 2006 Due to Presence of Added starch.** का निर्माण व विकय करने का दोषी पाया गया है। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला मे जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि मे आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 51 व 54 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्तगण 1 लगायत 3 को सयुक्त रूप से 50,000 (पचास हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी मे पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावे। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुरसिटी